



सूचना

सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि सी०बी०एस०ई० के छंटाई नियमावली के अनुसार निम्नलिखित सी०बी०एस०ई० की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के रिकार्ड की छंटाई कर दी गई है:-

1. वर्ष 2008, 2009 व 2010 की परास्नातक योजना, ए०आई०पी०एम०टी० एवं ए०आई०ई०ई०ई० (व्यावसायिक अध्ययन हेतु)।
2. केंद्रीय क्षेत्र की कालेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रयोजित) वर्ष 2008 व 2009 प्रथम वर्ष एवं (प्रथम व द्वितीय नवीनीकरण)।
3. वर्ष 2012 तक एकल बालिका संतान कक्षा-X।

इस संबंध में आगे पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sd/-
संयुक्त सचिव (प्रशा० एवं विधि)